



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1241

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18513 वर्ष 2025

तारकेश्वर तिवारी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

महानिदेशक, सीआरपीएफ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मलिक जुनैद अहमद
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	ए.एस.जी.आई., प्रेम नारायण राय

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मलिक जुनैद अहमद और प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम नारायण राय को सुना।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम नारायण राय ने न्यायालय में अभिकथन किया है कि वे अनुदेशों से भलीभांति परिचित हैं और मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं तथा वे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं तथा याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर आरंभिक चरण में ही निर्णय लिया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति सीआरपीएफ में कांस्टेबल जी.डी. के पद पर 06.07.2007 को हुई थी और उन्हें 04.01.2025 को सेवा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, जब सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के भुगतान का समय आया, तब केंद्रीय पेंशन, नई दिल्ली के वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा 14.11.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि रिट याचिकाकर्ता को पहले ही 8,98,904/- रुपये का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से 490110/- रुपये पहले ही वसूल किए जा चुके हैं और 408795/- रुपये वसूल किए जाने हैं, इसलिए रिट याचिकाकर्ता को उक्त 408795/- रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था।

5. उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए यह याचिका दायर की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब यह रिट याचिकाकर्ता की सेवा रद्द होने के दिनांक के बाद का है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यह छलकपट, छिपाव या दुर्व्यपदेशन का मामला नहीं है। आगे यह निवेदन है कि रिट याचिकाकर्ता का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह (व्हाइट वॉशर)**, (2015) 4 एससीसी 334 में प्रतिवेदित और **थॉमस डेनियल बनाम केरल राज्य और अन्य**, (2022) लाइव लॉ (एससी) 438 के मामले में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत आच्छादित होता है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी हो, नियोक्ता के पास अतिरिक्त राशि काटने का अधिकार हमेशा खुला रहता है। हालांकि, उनके अनुसार, आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था। उनका निवेदन है कि आदेश को कारण बताओ नोटिस माना जाए, हालांकि, उन्होंने कहा है कि रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी।

8. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

9. न्यायालय में इस प्रकार प्रस्तुत संबंधित दलीलों पर विचार करते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था और यह धोखाधड़ी, छिपाव या गलत बयानी का मामला है, इसलिए रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों में किया जा रहा है:

(ए) रिट याचिकाकर्ता को 16.01.2026 तक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

(बी) रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का जवाब 30.01.2026 तक देना होगा और 15.03.2026 तक आदेश पारित किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(सी) 15.03.2026 तक या आदेश पारित होने तक, जो भी पहले हो, रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी उत्पीडनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(डी) दिनांक 14.11.2025 का आदेश अंतिम आदेशों के अधीन होगा।

(ई) रिट याचिकाकर्ता को निर्णय पर भरोसा करते हुए सभी कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दों को उठाने की स्वतंत्रता होगी, जिस पर उसने इस न्यायालय के समक्ष भरोसा किया है।

10. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)